

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी-डॉ०सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 128/2021

तारीख रजू 15.03.2021

शंभू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गुर्जर निवासी पीलेण्डी तह.खण्डार।

— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार।

— रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक 27.08.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 217/2021 में पारित आदेश 15.02.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम पीलेण्डी के आराजी खसरा नम्बर 85/1 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर संवत् 2077 में अनाधिकृत रूप से सरसों की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट की ओर से राजकीय पेट्रोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 85/1 रकबा 1.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन चरागाह पर जिन्स सरसों संवत् 2077 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया जिसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी हासिल नहीं की गई ना ही मौका देखा गया है हल्का पटवारी की झूठी शिकायत को सत्य मानकर गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अपीलान्त ने हल्का पटवारी को मौके पर ले जाकर अपना कब्जा नहीं होने बाबत भी कहा गया था लेकिन हल्का पटवारी ने तहसीलदार को रिपोर्ट कर गलत ढंग से नोटिस जारी कराये गये जबकि ग्राम पंचायत व गांव के किसी व्यक्ति ने आज तक अतिक्रमण होने या नहीं की शिकायत भी नहीं की गई है ना ही अपीलान्त अतिक्रमण करने हेतु प्रयासरत है ना अतिक्रमण करता है जो अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया गया है कि


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर




अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को निर्णय पारित करने से पूर्व अपना पक्ष रखने का व पूर्ण सुनवायी का अधिकार नहीं देने तथा मौके की भौतिक सत्यापन नहीं करने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अन्त में वकील अपीलान्त द्वारा अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेशकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्त द्वारा की गई बहस का खण्डन करते-हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्त को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्त व अपीलान्त के परिवार को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्त द्वारा राजकीय भूमि गैर मुमकिन चरागाह पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिचारी है। यदि अपीलान्त की सजा को माफ किया जाता है तो अतिक्रमण को बढ़ावा मिलेगा साथ ही अपीलान्त को भी बल मिलेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्त की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्त को स्वयं को नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्त अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्त का तर्क है कि अपीलान्त सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमण आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का के बयान दर्ज है तथा अपीलान्त द्वारा गैर मुमकिन चरागाह भूमि पर सरसों की फसल काशत कर अतिक्रमण किया गया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त अतिक्रमी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके से बेदखल भी किया गया है किन्तु अपीलान्त द्वारा मौके पर से अपना कब्जा नहीं हटाया गया है। अतः मैं पेशकार सरकार द्वारा बहस में दिये गये तर्कों से सहमत हूँ अतः मेरी राय में अपील अपीलान्त अस्वीकार योग्य पायी जाती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.02.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


(डॉ०सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर